न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : पीयूष समारिया I.A.S.

प्रकरण संख्या –76 / 2026 (आव0व0अधि0)

GCMSNO. 2026/163

सरकार जर्ये प्रवर्तन अधिकारी कार्यालय जिला रसद अधिकारी कोटा

—–प्रार्थी.

बनाम

प्रोपराइटर / मालिक, ओम इलेक्ट्रकल्स एंड टेंट हाउस, दरा स्टेशन मोरूकला, कोटा झालावाड रोड, कोटा

—–अप्रार्थी.

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित लीक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर 2000 के तहत जब्तशुदा 043 घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात करने बाबत् ।

उपस्थितः–

1. पेरोकार रसद
2. अप्रार्थी स्वयं उपस्थित

निर्णय

दिनांकः– 5.05.2026

1 संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि जिला रसद कार्यालय को प्राप्त सूचना के आधार पर दिनांक 24.2.2026 को दरा स्टेशन मोरूकला कोटा झालावाड रोड स्थित राजू रेडीमेड एंड शूज हाउस के पास ओम इलेक्ट्रकल्स एंड टेट हाउस के गोदाम पर अवैध गैस भंडारण एवं दुरूपयोग की जांच हेतु निरीक्षण टीम द्वारा दबिश दी गई ।निरीक्षण के समय उक्त परिसर तालाबंद पाया गया । सुरक्षा एवं विधिक प्रकिया की दृष्टि से मौके पर उपस्थित पुलिस विभाग के प्रतिनिधि सहायक उप निरीक्षक श्री पथराम एवं कांस्टेवल श्री कैलाश बेल्ट नं0 1137 की उपस्थिति में उक्त गौदाम के कमरे की तलाशी ली गई । तलाशी के दौरान कमरे के भीतर 43 अदद घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर लाल रंग का अनाधिकृत एवं अवैध भंडारण पाया गया । उक्त परिसर पर अंकित मोवाईल नंबर 810721887 पर संपर्क कर संबंधित व्यक्ति को मौके पर उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया, किंतु संबंधित द्वारा जांच में कोई सहयोग नहीं किया गया और न ही मौके पर उपस्थित हुआ । उक्त परिसर से बरामद 43 अदद गैस सिलेंडरों के संवध में मौके पर कोई वैध अनुज्ञा पत्र स्टॉक रजिस्टर अथवा क्रय विक्रय दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गये । बिना किसी विधिक प्राधिकार के इतनी भारी मात्रा में ज्वलनशील गैस सिलेंडरों का भंडारण करना द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश का स्पष्ट उल्लंघन है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है । सुरक्षा एवं साक्ष्य की दृष्टि उक्त सभी 43 अदद सिलेंडरों को प्रवर्तन अधिकारी द्वारा कब्जेराज लेकर विधिक जप्ती की कार्यवाही संपादित की गई । जब्तशुदा सामग्री को सुरक्षित अभिरक्षा हेतु अमन एचपी गैस एजेंसी, मंडाना के प्रतिनिधि अशोक जैन को सुपुर्दगीनामा के अमाध्यम से सुपुर्द किया गया । सिलेंडरों की तौल एवं उनमें उपलब्ध गैस की मात्रा का विवरण निम्नानुसार है–

क. सं.	सिलेण्डर का एस आर कमांक	सरकारी तेल कंपनी का नाम	सिलेण्डर पर एलपीजी का उपदर्शित मानक भार / क्षमता किग्रा	खाली सिलेण्डरों का उपदर्शित भार /टेयर वेट किग्राम में ।	भौतिक सत्यापन पर सिलेण्डर का भार मय एलपीजी किग्राम में ।	शुद्व गैस का भार (6–5) किग्राम में	गैस सिलेण्डर का प्रकार

1	887286 C	HPCL	14.2	16.2	30.300	14.1	घरेलू
2	560274E	HPCL	14.2	16.0	30.200	14.2	घरेलू
3	332178S	HPCL	14.2	18.5	29.660	14.16	घरेलू
4	802430S	HPCL	14.2	15.3	29.500	14.2	घरेलू
5	257600S	HPCL	14.2	16.3	30.500	14.2	घरेलू
6	837104 P	HPCL	14.2	15.8	29.910	14.1	घरेलू
7	392456S	HPCL	14.2	16.2	30.36	14.16	घरेलू
8	210691S	HPCL	14.2	15.7	29.800	14.1	घरेलू
9	188117S	HPCL	14.2	16.4	30.540	14.14	घरेलू
10	88478S	HPCL	14.2	16.0	16.4	0.40	घरेलू
11	466601T	HPCL	14.2	15.7	15.7	0	घरेलू
12	208494T	HPCL	14.2	15.8	29.8	14.0	घरेलू
13	3988T	HPCL	14.2	15.8	29.9	14.1	घरेलू
14	783116E	HPCL	14.2	15.8	15.8	0	घरेलू
15	76184	HPCL	14.2	15.3	15.3	0	घरेलू
16	958284J	HPCL	14.2	15.6	15.6	0	घरेलू
17	831251S	HPCL	14.2	15.6	15.6	0	घरेलू
18	441344T	HPCL	14.2	15.5	15.5	0	घरेलू
19	002564S	HPCL	14.2	15.6	15.6	0	घरेलू
20	33060J	HPCL	14.2	15.6	15.6	0	घरेलू
21	437223S	HPCL	14.2	15.7	15.7	0	घरेलू
22	121120S	HPCL	14.2	15.9	15.9	0	घरेलू
23	321202S	HPCL	14.2	15.8	15.8	0	घरेलू
24	348S	HPCL	14.2	15.5	15.5	0	घरेलू
25	242788S	HPCL	14.2	15.8	15.8	0	घरेलू
26	053120T	HPCL	14.2	15.3	15.3	0	घरेलू
27	853471S	HPCL	14.2	15.9	15.9	0	घरेलू
28	983443	HPCL	14.2	17.3	17.3	0	घरेलू
29	688923T	HPCL	14.2	15.5	16.2	0.7	घरेलू
30	098372S	HPCL	14.2	15.7	15.7	00	घरेलू
31	75178	HPCL	14.2	16.4	16.4	0	घरेलू
32	0963990T	HPCL	14.2	15.9	15.9	0	घरेलू
33	663530E	HPCL	14.2	15.7	15.7	0	घरेलू
34	77298	HPCL	14.2	16.0	16.0	0	घरेलू
35	261941E	HPCL	14.2	15.9	15.9	0	घरेलू
36	21956	HPCL	14.2	15.7	15.7	0	घरेलू
37	320781S	HPCL	14.2	15.7	15.7	0	घरेलू
38	192387S	HPCL	14.2	15.9	15.9	0	घरेलू
39	203921S	HPCL	14.2	15.2	15.2	0	घरेलू
40	6896	HPCL	14.2	17.3	17.3	0	घरेलू
41	204664S	HPCL	14.2	15.3	15.3	0	घरेलू
42	126548S	HPCL	14.2	15.5	15.5	0	घरेलू
43	6074057	HPCL	14.2	16.6	16.6	0	घरेलू
	Total						

चूंकि उक्त सामग्री एक अत्यंत ज्वलनशील पेट्रोलियम पदार्थ है और इसे लंबे समय तक असुरक्षित स्थान पर रखा जाना जनहित एवं लोक सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत घातक सिद्व हो सकता है । अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के अंतर्गत उक्त समस्त जब्तशुदा सामग्री को राज्य सरकार के पक्ष में राजसात किया जाना न्यायोचित है । अतः मामले की गंभीरता और सार्वजनिक सुरक्षा को देखते हुए जक्ब्तशुदा 43 अदद गैस सिलेंडरों को राजसात करने की कृपा करें । धारा 6ए (2) के प्रावधानों के अंतर्गत उक्त ज्वलनशील सामग्री के अविलंब अंतरिम निस्तारण हेतु आदेश पारित करने का श्रम करें । ताकि किसी भी संभावित दुर्घटना से बचा जा सकें ।

3. प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । अप्रार्थी फर्म के प्रतिनिधि रवि गुर्जर पता दरा स्टेशन उपस्थित । अप्रार्थी द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया तथा जवाब के साथ प्रशासक ग्राम पंचायत मोरूकलां, प्रधानाध्यापक रा0उ0मा0 वि0 मोरूकलां, रा0उ0प्रा0वि0 मोरूकलां, रा0प्रा0वि0

मोरूखुर्द आंगनबाडी पाठशाला मोरूखुर्द रा0उ0मा0वि0 दरा स्टेशन, रा0उ0प्रा0वि0 किशोर सागर की ओर से भी लिखित जवाब प्रस्तुत किया जो पत्रावली शामिल किया गया । पेरोकार रसद एवं अप्रार्थी रवि गुर्जर उपस्थित । उभयपक्ष को सुना गया ।

4. पेरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही अपनी वहस में दोहराते हुए कथन किया है कि अप्रार्थी द्वारा बिना सक्षम स्वीकृति, विना लाईसेंस के इतनी अधिक मात्रा में घरेलू गैस सिलेण्डरों को अवैध भण्डार किया गया है। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित लीक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश 2000 के उपबंधों का स्पष्ट उल्लंघन किया है । अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय का विनियमन एवं वितरण) आदेश के तहत उक्तानुसार अधिग्रहित कुल 43 घरेलू गैस सिलेण्डरों (14.2 किग्रा.) को राजसात करने के आदेश फरमावें ।

5. अप्रार्थी ने अपने जवाब में कथन किया है हम ग्राम दरा स्टेशन मोरूकलां के निवासी है, हमारे गांव में वर्तमान में कोई भी स्थायी गैस एजेंसी उपलब्ध नहीं है । निकटतम गैस एजेंसी हमारे गांव से लगभग 17 किलोमीटर दूर स्थित है, जिसके कारण गैस सिलेंडर लाने ले जाने में हमें अत्यधिक कठिनाईयों का सामना करना पडता है । वर्तमान में हमारे गांव में अस्थायी रूप से ओम टेंट हाउस की दुकान पर गैस सिलेंडर रखे जाते है । हम ग्रामवासी अपनी सुविधा अनुसार खाली सिलेंडर एवं डायरी वहां जमा कर देते है ताकि गैस वाहन आने पर दुकानदार द्वारा सिलेंडर भरवाया जा सकें । तत्पश्चात हम शाम को अपने कार्य से लौटने के बाद वहीं से भरे हुए सिलेंडर प्राप्त कर लेते है किन्तु गैस वाहन के आगमन का कोई निश्चित समय नहीं होने के कारण कई वार समय पर गैस उपलब्ध नहीं हो पाती है। जिससे ग्रामवासियों को भारी असुविधा का सामना करना पडता है । अतः आपसे निवेदन है कि जहां वर्तमान में ओम टेंट हाउस के गोदाम के सामने गैस वाहन आकर खडा होता है एवं सिलेंडर रखे जाते है, उसी स्थान पर स्थायी रूप से गैस सिलेंडर जमा एवं वितरण हेतु सुविधा केंद्र (उप वितरण केंद्र) स्थापित कराने की कृपा करें, ताकि ग्रामवासियों को समय पर एवं सुचारू रूप से गैस उपलब्ध हो सकें ।

6. इसी प्रकार विभिन्न विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों द्वारा भी कथन किया है कि ग्राम पंचायत मोरूकलां दरा स्टेशन में 24.2.2026 को रसद विभाग द्वारा की गई गैस की टंकी की कार्यवाही मे रसद विभाग टीम ने जो उपभोक्ताओं की गेस की टंकिया जब्त की है जो कि एक गोदाम से मिली है जो खुद उपभोक्ताओं द्वारा रखी गई है क्योंकि ग्राम पंचायत मोरूकलां में जो गैस की गाडी समय पर नहीं आती है और भी इसी बहुत से गांव है जहां पर भी गैस की गाडी नहीं जाती है और यह बहुत से गांव पडते है, मोरूकलां, मोरूखुर्द,किशोर सागर, नयागांव डोबडा, पदमपुरा, कोथला, थोलपुरा, काल्याखेडी और सरकारी विद्यालय जहां पर गैस की गाडी नहीं आती है तो उपभोक्ताओं ने यहां एक दुकान पर अपनी गैस की डायरी दे रखी है जिसे दुकानदार गैस बुक कर लेता है और हम सभी उपभोक्ता वह किसी भी समय हमारी गैस की टंकी ले आते है लेकिन रसद विभाग द्वारा जो कार्यवाही के दौरान जो टंकिया जप्त की है वो टंकिया हमारी है जो कि टीम अपने साथ लेकर गई है । कृपया हम उपभोक्ताओं की टंकिया हमें वापस लोटाई जाए आगे से हम कभी अपनी गैस की टंकी और डायरी किसी को नहीं देंगे । हम खुद जाकर अपनी गैस भरवाएंगे । अतः इसमें दुकानदार की भी कोई गलती नहीं है । इसमें कुछ टंकिया कमल गैस एजेंसी कनवास की है हमने मंडाना अमन गैस एजेंसी पर ट्रांसफर करवाने के लिए भी रखी हुई है ।

7. हमने पेरोकार सरकार की बहस सुनी, पत्रावली का अवलोकन किया । पेरोकार सरकार का कथन है कि राज्य सरकार द्वारा घरेलू उपयोग हेतु अनुदानित दर पर उपभोक्ताओं को दिये जाने वाले घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध संग्रहण कर दुरूपयोग कर ओम इलेक्ट्रीकल्स एंड टेंट हाउस दरा के प्रोपराईटर रवि गुर्जर के द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित लीक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश 2000 के उपबंधों का स्पष्ट उल्लंघन किया है । अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय का विनियमन एवं वितरण) आदेश के तहत उक्तानुसार अधिग्रहित कुल 43 घरेलू गैस सिलेण्डरों (14.2 किग्रा.) को राजसात करने के आदेश चाहे गये है । अप्रार्थी द्वारा अपने जवाव अनुसार जब्तशुदा गैस सिलेण्डर विभिन्न विद्यालयों, एवं ग्रामवासियों के वताये है, तथा गांव में गैस एजेंसी

नहीं होने से खाली सिलेण्डर टेंट हाउस वाले के पास रखके जाते थे तथा आगे आने पर लेकर जाते थे आदि कथन किया है । प्रार्थी पेरोकार द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि अप्रार्थीगण द्वारा कोई अवैध रिफलिंग या कालाबाजारी की जा रही थी, जवकि अप्रार्थी के प्रस्तुत जवाव एवं गैस डायरियों की फोटो प्रतियां प्रस्तुत की गई है जो विभिन्न उपभोक्ताओं की थी, यहां यह भी उल्लेखनीय है कि गैस एजेन्सी द्वारा होम डिलीवरी नहीं करने के कारण ही सम्वन्धित उपभोक्ताओं द्वारा मजबूरी में अप्रार्थी फर्म के पास गाडी आने पर डिलीवरी लेने हेतु गैस सिलेण्डर रखे जाना पाया जाता है । अप्रार्थी एवं विभिन्न विद्यालयों एवं ग्राम पंचायत मोरूकलां के जवाब प्रार्थना पत्रों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाकर जब्तशुदा सिलेण्डर वापस सम्बन्धित उपभोक्ता को लौटाया जाना उचित होगा ।

8. परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 अस्वीकार किया जाकर उक्तानुसार अधिग्रहित कुल 43 घरेलू उपयोग के सिलेण्डर को वापस सम्वन्धित उपभोक्ताओं को लौटाने के आदेश दिये जाते है । साथ ही अप्रार्थी को हिदायत दी जाती है कि भविष्य में इस प्रकार से गैस सिलेण्डरों का अवैध संग्रहण नहीं किया जावें । इस वावत सम्वन्धित गैस एजेंसी को भी पाबंद किया जावें कि वह स्वयं उपभोक्ता को गैस सिलेण्डर की आपूर्ति करें, इस सम्बन्ध में HPCL कंपनी को उक्त सिलेण्डरों के सम्वन्धं में जांच कर हेतु लिखा जावें । जिला रसद अधिकारी कोटा को आदेश की प्रति पालनार्थ भेजी जावें ।

9. निर्णय आज दिनांक 5.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(पीयूष समारिया)
जिला कलेक्टर, कोटा
जिला कलक्टर
कोटा